प्रेषक,

बिन्द गोपाल द्विवेदी,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

दुग्ध आयुक्त,
दुग्धशाला विकास,
उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।

दुग्ध विकास अनुभाग-**2** लखनऊः दिनांक **09** नवम्बर, **2021**

विषय- वित्तीय वर्ष **2021-22** हेतु लेखाशीर्षक 2404-डेरी विकास-001-निदेशन एवं प्रशासन में पुनर्विनियोग के सम्बन्ध में।
(अनुदान संख्या-**16**)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-**442**/वित्त सम्भाग-**3**/बजट/पुनर्विनियोग/**21-22** दिनांक **25**अक्टूबर, **2021** का कृपया संदर्भ ग्रहण करे जिसके द्वारा कतिपय मानक मदों से मानक मद-15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद में रू0 5.00 लाख पुनर्विनियोग किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष **2021-22** हेतु अनुदान संख्या-**16** के लेखा शीर्षक-**2404-**डेरी विकास-**001-**निदेशन तथा प्रशासन-**03** सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें के मानक मद-**04-** यात्रा व्यय व **47-**कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय में सम्भावित बचत के सापेक्ष मानक मद- **15-**गाड़ियों का अनुरक्षण ओर पेट्रोल आदि की खरीद हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से संलग्न प्रपत्र-बी**0**एम**0-9(**भाग-**1)** के अनुसार वित्तीय वर्ष **2021-22** में कुल रू**0 3**.00लाख (रूपये तीन लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
(2) जिस मानक मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसमें अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।
(3) धनराशि का आहरण कर इसे किसी बैंक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।
(4) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।
(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-**1,** उ**0**प्र**0** शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-**3/2021/**बी-**1-375/**दस-**2021-231/2021,** दिनांक-**22.03.2021** में जारी निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष **2021-22** के आय-व्ययक के अनुदान सं**0-16** के अधीन लेखाशीर्ष-**2404-**मानक मद-**15-**गाड़ियों का अनुरक्षण ओर पेट्रोल आदि की खरीद के नामे डाला जायेगा तथा संलग्न प्रपत्र-बी**0**एम**0-9(**भाग-**1)** के अनुसार अनुदान संख्या-**16** के लेखा शीर्षक-**2404-**डेरी विकास-आयोजनेत्तर-**001-**निदेशन तथा प्रशासन-**03** सहकारीदुग्ध सप्लाई योजनाएं के मानक मद-**04-**यात्रा व्यय व **47-**कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय के मदों में उपलब्ध बचतों से पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित विभाग की सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

बिन्द गोपाल द्विवेदी
उप सचिव।

...2

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- **34** /2021 /933(**1**)**/53-2-2021,** तद्दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार लेखा उ**0**प्र**0,** इलाहाबाद।

2- प्रबन्ध निदेशक, पी**0**सी**0**डी**0**एफ**0** लि**0, 29** पार्क रोड, लखनऊ

3- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय परियोजना, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास, उ**0**प्र**0,** लखनऊ।

5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

6- वित (आय-व्ययक) अनुभाग-**1/2**/वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-**2**/नियोजन अनुभाग-**3** उ**0**प्र**0** शासन।

7- आहरण एवं वितरण अधिकारी, दुग्धशाला विकास विभाग, उ**0**प्र**0** जवाहर भवन, लखनऊ।

8- वेबमास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।

9- गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।